भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4495

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

तमिलनाडु में शहरी नियोजन और अवसंरचना विकास

†4495. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) और अन्य शहरी विकास कार्यक्रमों जैसी योजनाओं के अंतर्गत करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में सरकार द्वारा क्या प्रमुख शहरी नियोजन पहल की गई है/की जा रही है;

(ख) वर्ष 2019 से उक्त योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु और करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में शहरी नियोजन और विकास में, विशेषकर करूर जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों में, किसी चुनौती की पहचान की है और यदि हां, तो उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वित्त पोषण, अनुमोदन या अन्य कारणों से करूर में कोई शहरी विकास परियोजना लंबित है और यदि हां, तो उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार की कोई योजना करूर सहित तमिलनाडु में सतत् शहरी नियोजन, सार्वजनिक परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन और स्मार्ट बुनियादी ढांचे में सुधार करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और

अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) और एसबीएम-यू 2.0, स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0, शहरी परिवहन (यूटी), आदि के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। इन मिशनों/योजनाओं/परियोजनाओं को इनके तहत कवर किए गए शहरों और कस्बों में ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार करने के लिए मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की जाती है, शहरों के लिए नहीं।

<u>अमृत एवं अमृत 2.0:</u>

अमृत योजना 25 जून 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू की गई थी। मिशन चयनित शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है। तमिलनाडु में इन परियोजनाओं के लिए 13,339 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 4,756.68 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है।
अमृत के तहत करूर संसदीय क्षेत्र में 48 परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इन परियोजनाओं के लिए 738.58 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इनमें से 25.51 करोड़ रुपये की लागत वाली 46 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत तमिलनाडु में 14,687.83 करोड़ रुपए की कुल 1,270 परियोजनाएँ और करूर संसदीय क्षेत्र में 1,306.12 करोड़ रुपए की 136 परियोजनाएँ अनुमोदित की गई है ।
अमृत के तहत, तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए केंद्र की 4,756.38 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी के मुकाबले 4,626.24 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत तमिलनाडु को 4,942 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के मुकाबले 1,614.92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

<u>एससीएम:</u>
तमिलनाडु में, 11 स्मार्ट सिटी हैं। इन शहरों में, 5,390 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है, जिसमें से 5339 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। करूर संसदीय क्षेत्र एससीएम के अंतर्गत शामिल नहीं है।

<u>एसबीएम-यू:</u>
भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को एसबीएम-यू शुरू किया है जिसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना और शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना

है। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, 1 अक्टूबर, 2021 को एसबीएम-यू 2.0 की शुरुआत की गई है, जिसका विजन 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रह और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित अपशिष्ट के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है।

भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर निधियां जारी की जाती है, जिसे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाता है। इसलिए, एसबीएम-यू के तहत करूर संसदीय क्षेत्र को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में नहीं रखा जाता है। तमिलनाडु को आवंटित और जारी की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

आवंटित निधियाँ		2019 से 21.03.2025 तक जारी की गई निधि
एसबीएम-यू (2014-2021)	एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026)	
1200.50	821.40	1109.40

<u>पीएमएवाई-यू:</u>

2019 से तमिलनाडु और करूर संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	विवरण	तमिलनाडु	करूर संसदीय क्षेत्र
1	स्वीकृत	5,411.29	67.05
2	जारी	6,968.23	98.27
3	उपयोग किया गया	6,586.62	131.14

<u>शहरी परिवहन (यूटी):</u>

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में 63,246.4 करोड़ रुपए की लागत से 50:50 संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में चेन्नई मेट्रो चरण- II परियोजना को अनुमोदित किया है। दिनांक 18.10.2024 के स्वीकृति आदेश के अनुसार, चेन्नई मेट्रो रेल चरण- II परियोजना के लिए इक्विटी और अधीनस्थ ऋण हेतु भारत सरकार का कुल योगदान 7,424.9 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, केंद्र सरकार स्वीकृति आदेश के अनुसार बाह्य ऋण के लिए पास थ्रू सहायता (पीटीए) भी प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2025 तक चेन्नई मेट्रो चरण- II परियोजना के लिए 5,004.59 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

***